अनुदान संख्या 96 – चंडीगढ़
GRANT No. 96–CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*67,25,00*	*67,75,00*	*67,19,12*	*–55,88*
पूरक	*Supplementary*	*50,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*30,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1644,99,00	1730,82,00	1728,54,59	–2,27,41
पूरक	Supplementary	85,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*10,00*	*10,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	455,88,00	545,13,00	545,12,39	–61
पूरक	Supplementary	89,25,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*55.88 लाख रु.*) मार्च, 2010 में प्राप्त किए *50.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत *विनियोग* का 1 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.55.88 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* obtained in March, 2010 and

constituted 1 percent of the total sanctioned *appropriation.*

(I) *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2055" - "पुलिस" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2055" – "Police".

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	2129.00			
पू.	S.	10.00	2447.53	2438.24	–9.29
पु.	R.	308.53			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	200.00	47.68	47.68	. .
पु.	R.	–152.32			
मुख्य शीर्ष "2040"	Major Head "2040"				
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	Taxes on Sales, Trade etc.				
मू.	O.	168.00			
पू.	S.	45.00	199.42	199.36	–0.06
पु.	R.	–13.58			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2054" खजाना और लेखा प्रशासन	Major Head "2054" Treasury and Accounts Administration					
मू.	O.	213.00				
पू.	S.	8.00		196.10	196.06	–0.04
पु.	R.	-24.90				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police					
मू.	O.	15799.00				
पू.	S.	104.00		15569.62	15569.30	–0.32
पु.	R.	–333.38				
घ-विद्युत मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	**D – Ministry of Power** Major Head "2801" Power					
मू.	O.	43329.00				
पू.	S.	2497.00		44981.01	44980.64	–0.37
पु.	R.	–844.99				
झ-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	**I - Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution** Major Head "3456" Civil Supplies					
मू.	O.	355.00				
पू.	S.	25.00		336.31	335.76	–0.55
पु.	R.	–43.69				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष ''2210''	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	11701.00			
पू.	S.	1949.00	14324.57	14323.10	–1.47
पु.	R.	674.57			
ट-विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of School Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	8990.00			
पू.	S.	1058.00	10076.10	10073.78	–2.32
पु.	R.	28.10			
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	16180.00			
पू.	S.	388.00	21866.78	21846.16	–20.62
पु.	R.	5298.78			
मुख्य शीर्ष ''2203''	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	2983.00			
पू.	S.	556.00	3573.13	3572.82	–0.31
पु.	R.	34.13			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष ''2204'' खेल तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	1495.00			
पू.	S.	22.00	1396.52	1393.41	–3.11
पु.	R.	–120.48			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष ''2058'' लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	1771.00	1584.50	1583.42	–1.08
पु.	R.	–186.50			
मुख्य शीर्ष ''2059'' लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	10222.00			
पू.	S.	823.00	10986.26	10978.19	–8.07
पु.	R.	–58.74			
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	3660.00	3319.94	3163.97	–155.97
पु.	R.	–340.06			
मुख्य शीर्ष ''2217'' शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	21549.00	17387.39	17386.58	–0.81
पु.	R.	–4161.61			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ब-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**W-Ministry of Social Justice and Empowerment**					
मुख्य शीर्ष ''2235''	Major Head "2235"					
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare					
मू.	O.	621.00				
पू.	S.	86.00		903.58	902.52	–1.06
पु.	R.	196.58				
भ-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**X-Ministry of Communications and Information Technology**					
मुख्य शीर्ष ''3451''	Major Head "3451"					
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services					
मू.	O.	390.00				
पू.	S.	189.00		474.59	474.52	–0.07
पु.	R.	–104.41				

(I) 55.50 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मार्च, 2010 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''विधि सलाहकार और परामर्शदाता - चंडीगढ़ विधायी कक्ष''- 257.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 267.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 11.74 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2054'' - ''स्थानीय निधि लेखा परीक्षा - स्थापना'' - 118.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 126.00 लाख रु. कर

(I) Provision of Rs.55.50 lakhs remained wholly unutilised under five heads.

(II) Supplementary grant obtained in March, 2010 under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2014" – "Legal Advisors and Counsels – Chandigarh Legal Cell" - the original provision of Rs.257.00 lakhs was augmented to Rs.267.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.11.74 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts.

(B) Major Head "2054" - "Local Fund Audit - Establishment" - the original provision of Rs.118.00 lakhs was augmented to Rs.126.00

दिया गया । तथापि, 12.14 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम चिकित्सा बिलों के प्राप्त होने और पानी और बिजली के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.12.14 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less medical bills and non-receipt of water and electricity bills.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''जिला पुलिस - चंडीगढ़'' - 12784.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 104.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12888.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 293.40 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों का वेतन निर्धारण न होने के कारण हुई।

(C) Major Head "2055" – "District Police – Chandigarh" - the original provision of Rs.12784.30 lakhs was augmented to Rs.12888.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.104.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.293.40 lakhs (including supplementary grant) – due to non-fixation of pay of some categories of employees.

(घा) मुख्य शीर्ष ''2204'' - ''शारीरिक शिक्षा - खेलकूद कोचिंग केन्द्र'' - 920.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 22.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 942.00 लाख रु. कर दिया गया । तथापि, 54.22 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों की वजह से उपस्करों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(D) Major Head "2204" – "Physical Education – Sports Coaching Centre" - the original provision of Rs.920.00 lakhs was augmented to Rs.942.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.22.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.54.22 lakhs (including supplementary grant) – due to non-purchase of equipments owing to administrative reasons.

(III) मार्च, 2010 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained in March, 2010 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2040'' - ''संग्रहण प्रभार - स्थापना'' - 168.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 45.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 213.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 13.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(A) Major Head "2040" – "Collection Charges - Establishment" - the original provision of Rs.168.00 lakhs was augmented to Rs.213.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.45.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.64 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' - 105.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 121.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 11.32 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2202" - "Adult Education – Other Expenditure – Other Schemes" - the original provision of Rs.105.00 lakhs was augmented to Rs.121.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.32 lakhs.

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बाह्य स्रोतों से स्टाफ कम संख्या में नियुक्त किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less employment of outsourced staff.

(गा) मुख्य शीर्ष "2801" - "पारेषण तथा वितरण - चंडीगढ़ में बिजली का पारेषण तथा वितरण - बिजली का वितरण" - 43329.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2497.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45826.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों का वेतन निर्धारण न किए जाने के कारण 845.36 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - उपभोक्ता सुरक्षा संगठन - 159.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 184.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 11.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ;

(ङ) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धति - होम्योपैथी - औषधालय" - 81.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 91.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 7.97 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(चा) मुख्य शीर्ष "2203" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - तकनीकी शिक्षा निदेशालय" - 102.05 लाख रु. के मूल प्रावधान को 27.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 129.05 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6.04 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(ख) "पालिटेक्निक - केंद्रीय पालिटेक्निक/चंडीगढ़ इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज" - 589.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 79.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 668.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पानी और बिजली के बिल प्राप्त न होने और विज्ञापन के लिए कम निधियों

(C) Major Head "2801" – "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh – Distribution of Power" – the original provision of Rs.43329.00 lakhs was augmented to Rs.45826.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2497.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.845.36 lakhs – due to non-fixation of pay of some categories of employees.

(D) Major Head "3456" – "Other Expenditure – Consumer Protection Organisation" – the original provision of Rs.159.00 lakhs was augmented to Rs.184.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.18 lakhs;

(E) Major Head "2210" – "Urban Health Services – Other System of Medicine – Homoeopathy – Dispensary" - the original provision of Rs.81.50 lakhs was augmented to Rs.91.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.97 lakhs; and

(F) Major Head "2203" –

(a) "Direction and Administration – Directorate of Technical Education" - the original provision of Rs.102.05 lakhs was augmented to Rs.129.05 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.27.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6.04 lakhs.

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Polytechnic – Central Polytechnic/ Chandigarh College of Engineering and Technology" - the original provision of Rs.589.00 lakhs was augmented to Rs.668.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.79.00 lakhs which, however, remained unutilised to the

की आवश्यकता होने के कारण 8.70 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

extent of Rs.8.70 lakhs – due to non-receipt of water and electricity bills and requirement of less funds towards advertisement.

(छा) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग'' - 390.00 लाख रु.के मूल प्रावधान को 189.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 579.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो बिल कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 104.48 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(G) Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Information and Technology" - the original provision of Rs.390.00 lakhs was augmented to Rs.579.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.189.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.104.48 lakhs – due to receipt of less number of bills.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2015'' - ''अन्य व्यय - नगरपालिकाओं के चुनाव'' के अंतर्गत 152.32 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम, चंडीगढ़ के चुनाव न कराए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2015" – "Other Expenditure – Election for Municipalities" – saving of Rs.152.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-holding of elections of Municipal Corporation, Chandigarh.

(V) मुख्य शीर्ष ''2058'' - ''सरकारी मुद्रणालय - सरकारी मुद्रणालय, चंडीगढ़'' के अंतर्गत 187.65 लाख रु. की बचत (1424.57 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) Under Major Head "2058" – "Government Presses – Government Press, Chandigarh" - saving of Rs.187.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1424.57 lakhs);

(VI) मुख्य शीर्ष ''2059'' - सामान्य - रख-रखाव और मरम्मत - स्थापना'' - 416.04 लाख रु. की बचत (4059.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VI) Under Major Head "2059" - "General – Maintenance and Repairs - Establishment" - saving of Rs.416.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4059.65 lakhs); and

(VII) मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "2215" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''जल पूर्ति'' -

(A) "Water Supply" –

(क) ''निदेशन और प्रशासन - कार्य प्रभारित स्थापना'' - 188.91 लाख रु. की बचत (1457.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(a) "Direction and Administration – Work Charged Establishment" – saving of Rs.188.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1457.35 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों का वेतन निर्धारण न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-fixation of pay of some categories of employees.

(ख) ''शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - अन्य स्कीमें'' - 107.29 लाख रु. की बचत (340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''मलजल और सफाई - सफाई सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र में व्यय'' - 178.65 लाख रु. की बचत (270.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्य के कम अवसर होने के कारण हुईं।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''सामान्य - स्थानीय निकायों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास बोर्डों आदि को सहायता - नगर निगम, चंडीगढ़'' - 4153.00 लाख रु. की बचत (20283.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार के निदेश के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान की अंतिम किस्त की अदायगी के लिए पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(IX) तीन शीर्षों के अंतर्गत 245.78 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. कम और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6341.08 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 8583.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''उच्च न्यायालय - स्थापना - 350.14 लाख रु.। तथापि, वास्तविक व्यय, 345.56 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और औषधालय - सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़'' - 177.32

(b) "Urban Water Supply Programme – Other Schemes" – saving of Rs.107.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.340.00 lakhs); and

(B) "Sewerage and Sanitation – Sanitation Services – Expenditure in U.T. without Legislature" – saving of Rs.178.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.30 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less scope of work.

(VIII) Under Major Head "2217" - "General – Assistance to Local Bodies, Corporation, Urban Development Authorities, Town, Improvement Board etc. – Municipal Corporation, Chandigarh" - saving of Rs.4153.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20283.00 lakhs) was due to re-appropriation for payment of last instalment of Grants-in-aid to Punjab University as per the direction of Government of India.

(IX) Under three heads savings of Rs.245.78 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 24 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.6341.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.8583.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" – "High Courts - Establishment" – Rs.350.14 lakhs. Actual excess, however, was Rs.345.56 lakhs.

(B) Major Head "2210" –

(a) "Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – General

लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 176.52 लाख रु. था।

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज'' - 540.57 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 540.53 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' -

(क) ''विश्वविद्यालयों को सहायता - पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़'' - 4153.00 लाख रु.।

(ख) ''सरकारी कालेज और संस्थान - कला और विज्ञान कालेज'' - 978.70 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 978.69 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - सामान्य - संवर्धन और प्रचार - पर्यटन सुविधाएं'' - 59.91 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 59.90 लाख रु. था।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - अन्य स्कीमें'' - 81.44 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - कार्यकारी स्थापना'' - 189.62 लाख रु. का अधिक व्यय (2128.80 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांचवे पंजाब वेतन आयोग के अनुसार वेतनमानों में संशोधन किए जाने की वजह से बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - दंगों/आतंकवादियों से प्रभावित/मारे गए व्यक्तियों को वित्तीय राहत'' -

Hospital, Chandigarh" – Rs.177.32 lakhs. Actual excess, however, was Rs.176.52 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College" – Rs.540.57 lakhs. Actual excess, however, was Rs.540.53 lakhs.

(C) Major Head "2202" - "University and Higher Education" -

(a) "Assistance to Universities – Punjab University, Chandigarh" - Rs.4153.00 lakhs.

(b) "Government Colleges and Institutes – Arts and Science Colleges" – Rs.978.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.978.69 lakhs.

(D) Major Head "3452" – "General – Promotion and Publicity – Tourism Facilities" – Rs.59.91 lakhs. Actual excess, however, was Rs.59.90 lakhs.

(E) Major Head "2235" – "Social Welfare – Other Programmes – Other Schemes" – Rs.81.44 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2059" – "General – Direction and Administration – Executive Establishment" – excess of Rs.189.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2128.80 lakhs) was due to payment of arrears owing to revision of pay scales as per Fifth Punjab Pay Commission.

(B) Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programme – Other Programmes – Monetary Relief to Persons

112.86 लाख रु. का अधिक व्यय (27.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1984 के दंगों के पीड़ितों को अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Affected/Killed by Riots/Terrorists" – excess of Rs.112.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to the victim of 1984 riots.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
क-गह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	440.00			
पू.	S.	25.00	647.10	646.99	–0.11
पु.	R.	182.10			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1535.00			
पू.	S.	1200.00	2636.50	2636.49	–0.01
पु.	R.	–98.50			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2200.00	1779.07	1779.08	+0.01
पु.	R.	–420.93			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
च-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**F - Ministry of Environment and Forests**					
मुख्य शीर्ष ''4406'' वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wildlife					
मू.	O.	150.00				
पु.	R.	226.92		376.92	376.92	. .
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	2235.00				
पू.	S.	500.00		3062.21	3062.17	–0.04
पु.	R.	327.21				
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**					
मुख्य शीर्ष ''4202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture					
मू.	O.	460.00				
पु.	R.	–184.57		275.43	275.43	. .
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	186.00				
पू.	S.	300.00		561.20	561.20	. .
पु.	R.	75.20				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	600.00	451.49	451.52	+0.03
पु.	R.	–148.51			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U- Ministry Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	290.00	114.00	114.00	. .
पु.	R.	–176.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	652.00	814.20	814.23	+0.03
पु.	R.	162.20			
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	34735.00	41988.32	41987.11	–1.21
पू.	S.	6900.00			
पु.	R.	353.32			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन" के अंतर्गत 1505.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2010 में 1200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2705.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो

(I) Under Major Head "4059" – "Other Buildings – Construction – Administration of Justice" – the original provision of Rs.1505.00 lakhs was augmented to Rs.2705.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs

कुछ निर्माण कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण 124.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

in March, 2010 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.124.90 lakhs - due to non-receipt of administrative approval of some works.

(II) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पारेषण और वितरण - चंडीगढ़ में बिजली का पारेषण और वितरण - बिजली का वितरण'' के अंतर्गत 450.99 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution – Transmission and Distribution of Power in Chandigarh – Distribution of Power" - saving of Rs.450.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अंतर्गत एलोपैथी - अन्य मदें'' - 170.89 लाख रु. की बचत (820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Other Items" - saving of Rs.170.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.820.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''खेलकूद और युवा सेवाएं'' - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 184.57 लाख रु. की बचत (460.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "4202" – "Sports and Youth Services – Other Expenditure – Buildings" – saving of Rs.184.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.460.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष ''4215'' - ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - ग्रामीण क्षेत्रों में नल द्वारा जलपूर्ति स्कीम'' के अंतर्गत 120.00 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "4215" – "Water Supply – Rural Water Supply – Rural Piped Water Supply Scheme" – saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने/देर से प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to non/late receipt of administrative approval from the client department.

(VI) मुख्य शीर्ष ''5055'' - बेड़े का अधिग्रहण - चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम'' - 112.39 लाख रु. की बचत (410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई बसों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "5055" – "Acquisition of Fleet – Chandigarh Transport Undertaking" – saving of Rs.112.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.410.00 lakhs) was due to less purchase of new buses.

(VII) छह शीर्षों के अंतर्गत 357.50 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से लेकर लगभग 100 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under six heads savings of Rs.357.50 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to nearly 100 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1008.73 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

5.(I) The above savings were partly (Rs.1008.73 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च,2010 में 8925.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''राज्य पुलिस - अन्य संबद्ध निर्माण कार्य'' - 126.18 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 126.07 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4210'' - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/500 बिस्तरों वाला दूसरा सामान्य अस्पताल, सेक्टर-32, चंडीगढ़'' - 495.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 495.49 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - संपर्क सड़कों का निर्माण'' - 71.66 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 71.67 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास - निर्माण - अन्य स्कीमें'' - 315.39 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 314.17 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4406'' - ''वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भवन - भूमि का अधिग्रहण'' - 226.92 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल पार्क के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास'' - 202.95 लाख रु. का अधिक व्यय (607.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक घरों का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.8925.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" – "State Police – Other Allied Works" – Rs.126.18 lakhs. Actual excess, however, was Rs.126.07 lakhs.

(B) Major Head "4210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy – Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital, Sector 32, Chandigarh" – Rs.495.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.495.49 lakhs.

(C) Major Head "5054" – "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Link Roads" – Rs.71.66 lakhs. Actual excess, however, was Rs.71.67 lakhs.

(D) Major Head "4217" – "State Capital Development – Construction - Other Schemes" – Rs.315.39 lakhs. Actual excess, however, was Rs.314.17 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4406" – "Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Acquisition of Land" – excess of Rs.226.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to acquisition of land for the development of Aquatic Park.

(B) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees" – excess of Rs.202.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.607.00 lakhs) was due to construction of more houses for Government employees.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 207.51 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किंतु 100.00 लाख रु. से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत से 541प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of Rs.207.51 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 56 percent to 541 percent of the sanctioned provision.